-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना मरका पुलिस द्वारा 03 वर्षीय अपहृत बच्चे को किया गया सकुशल बरामद । घटना में शामिल 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद ।**
- **पुरानी रंजिश व पैसो के लालच में आकर पड़ोसी ने ही अपने पुत्र व साथियों संग मिलकर दिनांक 16.02.2025 को घटना को दिया था अंजाम ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सौरभ सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19.02.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा 03 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया । गौरतलब हो कि थाना मरका क्षेत्र के ग्राम कुम्हेणा के रहने वाले जगजीवन ने दिनांक 17.02.2025 को अपने 03 वर्षीय बच्चे के दिनांक 16.02.2025 की शाम से गायब होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । जिस पर थाना मरका पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्चे की सकुशल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे । जांच क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों आदि से पूछताछ करने पर बच्चे के अपहृत होना पाया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक 19.02.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए घटना में शामिल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जबकि घटना में शामिल 01 अभियुक्त अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है । पूछताछ में अभियुक्त रामधनी वर्मा पुत्र मंगलवा द्वारा बताया गया कि 14 वर्ष पहले उसकी पुत्री को भगाने में पड़ोसी बेलाकली पत्नी जगजीवन के सहयोग की शंका को लेकर मै रंजिश मानता था इसी दौरान कानपुर का रहने वाला अरविन्द यादव पुत्र मुंशी यादव जिसका ससुराल गौरीताला मजरा मरका में है जिसे मै पहले से जानता था करीब 10 दिन पहले मेरे पास आया तथा बताया कि उसे एक छोटे बच्चे की जरुरत है एक व्यक्ति है जिनको कोई बच्चा नहीं यदि तुम व्यवस्था कर दो तो तुम्हे रुपये भी दुंगा । तभी अभियुक्त रामधनी वर्मा ने सोचा कि पड़ोस के रहने वाली बेलाकली के बच्चे को मै दे दूं तो उसे रुपये भी मिल जायेगे और उसका बदला भी पूरा हो जायेगा । इसी रंजिश के चलते अपने पुत्र व साथियों संग योजना बनाकर दिनांक 16.02.2025 की शाम मौका पाकर घटना को अंजाम दिया गया था ।

बरामदगी-

- 01 ऑटो (घटना में प्रयुक्त) ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामधनी वर्मा पुत्र मंगलवा निवासी कुम्हेणा थाना मरका जनपद बांदा ।
2. कमल वर्मा पुत्र रामधनी वर्मा निवासी कुम्हेणा थाना मरका जनपद बांदा ।
3. विजय करन यादव पुत्र जामवन्त यादव निवासी गौरीताला थाना मरका जनपद बांदा ।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. अरविन्द यादव पुत्र मुन्शी यादव निवासी अहिरानी थाना बिल्हौर जनपद कानपुर ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 25/25 धारा 137(2)/97/142(4)/3(5) बीएनएस थाना मरका जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी मरका श्री सुभाष चन्द्र
2. उ0नि0 श्री अंश त्यागी
3. उ0नि0 श्री रामनारायण वर्मा
4. म0हे0कां0 प्रियंका पटेल
5. कां0 नकुल राय